

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी (म.प्र.)

// विविध आदेश //

क्रमांक-²³³...../एक-9-1/2013,

डिण्डौरी, दिनांक-01/11/2023

आगामी दीपावली पर्व एवं अन्य सार्वजनिक अवकाश के तिथियों में सत्र न्यायालय/अपर सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय सत्र/विशेष सत्र मामलों में रिमाण्ड कार्यवाही/जमानत आवेदन एवं अत्यावश्यक प्रकृति के आवेदन पत्रों की सुनवाई प्रभावित न हो, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए, मैं नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी जिला मुख्यालय डिण्डौरी में पदस्थ निम्नलिखित सत्र/अपर सत्र न्यायाधीश की नीचे दर्शित अवकाश तिथियों में रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करने हेतु अधिकृत करती हूँ :-

क्रमांक	सत्र/अपर सत्र न्यायाधीश का नाम व पदनाम	रिमाण्ड ड्यूटी की तिथि
1.	सुश्री नीना आशापुरे, सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी	दि. 10.11.2023 एवं 11.11.2023
2.	श्री हिदायत उल्ला खान, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी	दि. 12.11.2023, 13.11.2023, 14.11.2023, एवं 15.11.2023
3.	श्री कमलेश कुमार सोनी, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी	दि. 18.11.2023 एवं 19.11.2023

नोट-1. सम्बंधित अपर सत्र न्यायाधीश नियत दिनोंको 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक उपस्थित होकर, अपने न्यायालय कक्ष में सत्र/विशेष सत्र मामलों में रिमाण्ड कार्यवाही/जमानत आवेदन एवं अत्यावश्यक प्रकृति के आवेदन पत्र की सुनवाई/रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

2. किसी भी आकस्मिकता/अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण उक्त न्यायिक अधिकारी के अनुपस्थिति में उक्त तिथियों में श्री हिदायत उल्ला खान, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।

¹⁻¹¹⁻²³
(नीना आशापुरे)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

डिण्डौरी(म.प्र.)

पृष्ठा. क्रमांक-¹⁶⁵¹...../एक-9-1/2013,
प्रतिलिपि - ⁰¹⁻⁰¹

डिण्डौरी, दिनांक-01/11/2023

1. श्री हिदायत उल्ला खान, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी
2. श्री कमलेश कुमार सोनी, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी
3. पुलिस अधीक्षक डिण्डौरी की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे समस्त थाना प्रभारियों को इस आदेश से अवगत करावें।
4. अध्यक्ष/सचिव जिला अभिभाषक संघ डिण्डौरी/शहपुरा
5. लोक अभियोजक/अति0लोक अभियोजक डिण्डौरी
6. जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी
7. निष्पा0लिपिक न्याया0 सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

¹⁻¹¹⁻²³
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

डिण्डौरी(म.प्र.)